दिनांक 27.10.2020 को उपायुक्त, गिरिडीह की अध्यक्षता में National Green Tribunal, New Delhi द्वारा पारित आदेश का अनुपालन की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- पंजी में संधारित

उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। National Green Tribunal (NGT), New Delhi द्वारा पारित आदेश का अनुपालन की समीक्षा हेतु निम्नलिखित निर्णय/निदेश दिया गया :-

1. समीक्षा के क्रम में निर्देशित किया गया कि वन क्षेत्र में Water Bodies का Restoration हेतु तालाबों का चयन कर Geo Tag कराकर Unique Id देते हुए पानी की गुणवत्ता की जाँच कराकर आवश्यकतानुसार तालाबों का Treatment के साथ Rejuvenate कराया जाना है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह को निर्देशित किया गया कि 15 नवम्बर, 2020 तक तालाबों का Treatment Plan तैयार कर जिले को उपलब्ध करावें, ताकि माननीय NGT के आदेशों का अनुपालन हो सके।
2. Air Quality Management Plan, Mining Activity Management Plan एवं Noise Pollution Management Plan तैयार करने हेतु- जिला खनन पदाधिकारी, गिरिडीह को निदेश दिया गया कि Air Pollution, Noise Pollution एवं Mining से होने वाले Pollution का आँकड़ा एकत्रित करें तथा Pollution Management Plan तैयार कर 15 नवम्बर, 2020 तक जिले को उपलब्ध करावें।
3. समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि हरेक गाँव में एक Water Body को चिन्हित कर Restore करना है। जिले में 2700 गाँव है। प्रत्येक गाँवों में एक-एक तालाब को चिन्हित कर एवं Geo Tag कर Unique Id देते हुए पानी की जाँच हेतु Sample पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, गिरिडीह को उपलब्ध कराना है तथा जाँच प्रतिवेदन के अनुसार Water Body का Treatment कराकर पुनः Water Bodies का जाँच करना है। तालाब के चारो ओर पार्क, पथ, बेरिकेट एवं कुड़-कचड़ा प्रबंधन का व्यवस्था करना है। उपरोक्त कार्यों का क्रियान्वयन हेतु सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को निर्देशित किया जाता है।
4. समीक्षा के क्रम में निर्देशित किया गया कि शहरी क्षेत्र में भी चार-पाँच Water Bodies को चिन्हित कर एवं Geo Tag कर Unique Id देना है तथा यदि Water Body का अतिक्रमण हुआ है तो अतिक्रमण मुक्त कराकर पानी की जाँच हेतु Sample पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, गिरिडीह को उपलब्ध कराना है एवं जाँच प्रतिवेदन के

अनुसार Water Body का Treatment कराकर पुनः Water Quality की जाँच कराना है। तालाब के चारो ओर पार्क, पथ, बेरिकेट एवं कुड़-कचड़ा प्रबंधन का व्यवस्था करना है। शहरी क्षेत्र में स्थित गौशाला के पास का तालाब, मानसरोबर तालाब को इसमें सम्मिलित करने हेतु निर्देशित किया गया। Water Body का Treatment Plan से संबंधित प्रतिवेदन 15 नवम्बर, 2020 तक विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश उप नगर आयुक्त, नगर निगम, गिरिडीह को दिया गया।

5. Solid waste, Plastic waste, C&D Waste, Biomedical Waste, Industrial waste, Hazardous waste एवं E-waste का आँकड़ा संग्रह कर Waste Management का कार्य योजना तैयार कर 15 नवम्बर, 2020 तक प्रतिवेदन जिले को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
6. सभीक्षा के क्रम में निर्देशित किया गया कि हरेक गाँव में एक Water Body (डोभा, तालाब, आहर, बाँध, चेक डेम इत्यादि) का पुरर्नोधार कराना है। प्रखण्ड में निर्माण कराये जा रहे अथवा पूर्व में निर्मित Water Body का विवरणी उपलब्ध कराने का निर्देश प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों, जिला मत्स्य पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला मृदा संरक्षण पदाधिकारी तथा उप नगर आयुक्त, नगर निगम, गिरिडीह को दिया गया।
7. समीक्षा के क्रम में हरेक राजस्व ग्राम में एक नया Water Body (डोभा, तालाब, आहर, बाँध, चेक डेम इत्यादि) का निर्माण कराने का निदेश दिया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

परियोजना पदाधिकारी, डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह।	निदेशक, 27/10/20 डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह।	उप विकास आयुक्त, गिरिडीह।	29/10/2020 उपायुक्त, गिरिडीह।

ज्ञापांक 1902/अभि0,गिरिडीह,दिनांक 31/10/2020

प्रतिलिपिः- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- सभी संबंधित पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

परियोजना पदाधिकारी, डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह।	निदेशक, 27/10/2020 डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह।	उप विकास आयुक्त, गिरिडीह।	29/10/2020 उपायुक्त, गिरिडीह।